सिविल अपील

डी.के. महाजन, न्यायमूर्ति के समक्ष

तिरखा, *आदि, - अपीलकर्ता*

बनाम

द्वारका प्रसाद, आदि, - उत्तरदाता।

नियमित द्वितीय अपील 1967 *की सं.* 1397

12 जुलाई , 1972।

रिवाज-ढोली कार्यकाल- ढोलदार द्वारा अलगाव-चाहे वह शुरू *से ही शून्य हो- इस तरह का अलगाव* - चाहे ढोलदार *या उसके उत्तराधिकारियों* द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता *है।*

अभिनिर्धारित किया, कि शून्य और शून्य लेनदेन के बीच अंतर की एक दुनिया है। एक शून्य लेनदेन *गैर-आवश्यक* है - जबकि एक शून्य लेनदेन तब तक अच्छा होता है जब तक कि यह खड़ा होता है, लेकिन शून्य हो जाता है जब इसे उस व्यक्ति द्वारा महाभियोग लगाया जाता है जिसके पास लेनदेन को शून्य घोषित करने का अधिकार है। *ढोलीदार* द्वारा ढोली *के कार्यकाल* को अलग-थलग करना शुरू से ही *अमान्य है* और इसलिए यह अपरिहार्य नहीं है /विदेशी धोलीदार *या उसके उत्तराधिकारी* उस अलगाव पर महाभियोग लगा सकते हैं जो *धोलीदार* ने किया है। धोलीदार का पद ट्रस्टी के समान होता है, और यह एक ट्रस्टी के लिए खुला होता है कि वह स्वयं या अपने पूर्ववर्ती द्वारा किए गए शून्य अलगाव की वैधता पर महाभियोग लगाए।

(पैरा 4 & 5)

श्री ओ. पी. शर्मा, द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गुड़गांव की अदालत की दिनांक 30 अगस्त, 1967 की डिक्री से नियमित द्वितीय अपील, जिसमें श्री दीवान हुकम चंद गुप्ता, उप-न्यायाधीश, *प्रथम* श्रेणी, पलवल द्वारा दिनांक 29 दिसम्बर, *1966 को की गई पुष्टि की गई है, जिसमें* वादी को प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के विरुद्ध 10,000/- रुपये के भुगतान पर भूमि के संबंध में बंधक के मोचन के लिए जुर्माने के साथ प्रारंभिक डिक्री प्रदान की गई है। *(ख)* 31 *जनवरी,* 1967 *तक* धारा 160 *के तहत अंतिम डिक्री प्राप्त करेगा और इस प्रकार विवादित भूमि का कब्जा प्राप्त करेगा।*

अपीलीय न्यायालय ने लागत के बारे में कोई आदेश पारित नहीं किया।

अपीलकर्ताओं की ओर से *सुरिंदर सरूप,* अधिवक्ता

पीएस जैन, अधिवक्ता, *प्रतिवादियों के लिए।*

निर्णय

महाजन, *न्यायमूर्ति*—यह दूसरी अपील वादी के मुकदमे को डिक्री करने वाले न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों के खिलाफ निर्देशित है।

(2) वादी द्वारका प्रसाद ने किशन जीवन की पत्नी जवात्री की पुत्री श्रीमती कस्तूरी से विवादित भूमि गिरवी रखकर प्राप्त की। भूमि का स्वामित्व तिरखा और अन्य में निहित है। किशन जीवन ने इस भूमि को ढोलीदार के रूप में धारण किया / उन्होंने 13 मई, 1929 को इसे वर्तमान अपीलकर्ताओं, यानी तिरखा और अन्य को 160 रुपये में गिरवी रख दिया। उनकी मृत्यु पर, उनकी विधवा जावित्री उनके उत्तराधिकारी बनीं। उनकी मृत्यु पर, जो मुकदमे से 5 या 6 साल पहले हुई थी, उन्हें कस्तूरी, प्रतिवादी नंबर 5, ने *धोलीदार* के रूप में प्रतिस्थापित किया था। कस्तूरी ने 24 फरवरी, 1964 को पंजीकृत विलेख द्वारा द्वारका प्रसाद के पक्ष में उक्त भूमि को 1,000 रुपये में गिरवी रख दिया। इस बंधक के आधार पर द्वारका प्रसाद ने पूर्व बंधक के मोचन द्वारा पिछले बंधकों तिरखा और अन्य के खिलाफ भूमि के कब्जे के लिए एक मुकदमा लाया। प्रतिवादियों द्वारा इस मुकदमे को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि *धोलीदार* को उस भूमि को गिरवी रखकर हस्तांतरित करने का कोई अधिकार नहीं था जो *ढोली* कार्यकाल की विषय-वस्तु थी और वह अमान्य थी। इसलिए, भूमि मूल मालिकों के पास वापस आ गई और *ढोली का* कार्यकाल विलुप्त हो गया। प्रतिवादियों ने इस बात से भी इनकार किया कि कस्तूरी किशन जीवन की बेटी थी।

(3) ट्रायल कोर्ट ने पाया कि कस्तूरी किशन जीवन की बेटी थी और बंधक शून्य था, लेकिन यह बचाव प्रतिवादी-अपीलकर्ताओं के लिए इस साधारण कारण से उपलब्ध नहीं था कि वे खुद किशन जीवन से गिरवी के रूप में जमीन ले रहे थे। इसलिए, वे इस बंधक के पीछे नहीं जा सकते थे ताकि बाद में भूमि को भुनाने के लिए बंधक के अधिकार पर विवाद किया जा सके। मामले के इस दृष्टिकोण में, मुकदमा सुनाया गया था। प्रतिवादियों की एक अपील विफल रही। प्रतिवादी इस न्यायालय में दूसरी अपील में आए हैं।

(4) प्रतिवादी-अपीलकर्ताओं के वकील श्री सुरिंदर सरूप का तर्क यह है कि बंधक का लेनदेन शून्य है और इसलिए *यह अनुचित है।* प्रतिवादी-अपीलकर्ता भूमि के मूल मालिक हैं और इसलिए, प्रतिवादी बंधक की वैधता पर महाभियोग लगा सकते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे स्वयं बंधक हैं या नहीं। ढोली *का कार्यकाल है या नहीं, यह सवाल* ढोलीदार *या उसके उत्तराधिकारियों और गांव के मालिकों के बीच का*

सवाल है, लेकिन जहां तक बंधक धारक का सवाल है, उसे बंधक के तहत कोई अधिकार नहीं मिलता है, यह विवाद सेवा राम बनाम उदेगिर (1) में सर शादी लाई की स्पष्ट घोषणा के मद्देनजर ठोस प्रतीत होता है । विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने कार्यकाल की प्रकृति निर्धारित करने के बाद कहा: –

"यह विवाद से परे है कि इस तरह के कार्यकाल को बिक्री या बंधक द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, और इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि उस चरित्र का कोई भी अलगाव, अगर *ढोलदार* द्वारा किया जाता है, तो पूरी तरह से शून्य होगा। इस मामले में, हम इस तर्क को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि वर्तमान *धोलीदार,* जो विदेशी का बेटा है, को कानून के किसी भी नियम द्वारा अपने पिता द्वारा किए गए अलगाव पर महाभियोग चलाने से रोक दिया गया है। चूंकि लेनदेन पूरी तरह से शून्य था, हम मानते हैं कि यहां तक कि विदेशी ने वादी के मुकदमे के जवाब में सफलतापूर्वक दलील दी होगी कि बाद में इसे कानून की अदालत में लागू नहीं किया जा सकता है। इसलिए, कोई कारण नहीं है कि प्रतिवादी को अलगाव पर महाभियोग लगाने में सक्षम क्यों नहीं होना चाहिए, विशेष रूप से, जब हम याद करते हैं कि एक *धोलीदार* का पद एक ट्रस्टी के समान है, और यह एक ट्रस्टी के लिए खुला है कि वह अपने पूर्ववर्ती द्वारा किए गए अलगाव की वैधता पर महाभियोग लगाए।

(1) आई.एल.आर. 2 लाहौर 312.

(5) शून्य और शून्य लेनदेन के बीच अंतर की एक दुनिया है। एक शून्य लेनदेन *गैर-आवश्यक* है जबकि एक शून्य लेनदेन तब तक अच्छा होता है जब तक कि यह खड़ा होता है, लेकिन शून्य हो जाता है जब इसे उस व्यक्ति द्वारा महाभियोग लगाया जाता है जिसे लेनदेन को शून्य घोषित करने का अधिकार है। विद्वान मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियां इस बिंदु पर स्पष्ट हैं कि *ढोली कार्यकाल का अलगाव* शुरू से ही *शून्य है*यदि यह शून्य है , तो यह शून्य है / दूसरी ओर, यदि यह शून्य है तो विदेशी इसे चुनौती नहीं दे सकता है। जबकि विद्वान मुख्य न्यायाधीश के अनुसार, एक *धोलीदार* अपने द्वारा किए गए अलगाव पर महाभियोग लगा सकता है। इस प्रकार, अलगाव शून्य है और शून्य नहीं है। इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि प्रतिवादी इस छोटे से आधार पर मोचन मुकदमे को हरा सकते हैं कि वादी के पक्ष में कोई बंधक नहीं था।

(6) प्रतिवादियों के वकील श्री जैन का तर्क है कि यह *धोलीदार* के उत्तराधिकारी हैं, जो अकेले अलगाव पर महाभियोग चला सकते हैं, लेकिन विद्वान मुख्य न्यायाधीश की स्पष्ट घोषणा के मद्देनजर इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, जिसका संदर्भ पहले ही दिया जा चुका है। मामले के इस दृष्टिकोण में, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि नीचे दिए गए न्यायालय ों ने यह मानने के बाद गलती की कि वादी के पक्ष में बंधक शून्य था कि इसे भुनाया जा सकता था। यह निष्कर्ष सेवा राम के मामले में दिए गए फैसले के विपरीत है /

(7) ऊपर दर्ज कारणों के लिए, मैं इस अपील की अनुमति देता हूं, नीचे दिए गए न्यायालयों के निर्णयों और डिक्री को अलग करता हूं और वादी के मुकदमे को खारिज करता हूं। मामले की परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

के.एस.के.

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

खुश करण जोत सिंह गिल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी